52 नि/निग0/सिंगरौली/2017/4353

न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा, जिला रीवा (म0प्र0)

20 रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 30/-

5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

अधि० श्री रामनरेश मिश्रा 10-11-17 द्वारा पेश

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

मु० गुजरतिया पुत्री बसंतलाल वैसवार, निवासी ग्राम कनई, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली म0प्र0

-----**आवेदिका/निगरानीकर्ता**

बनाम्

1– हीरामण के वारिसान–

क– रामगोविन्द तनय हीरामण

ख– दुलरनिया पुत्री स्व0 हीरामण

ग– विजगुरिया पुत्री स्व0 हीरामण

तीनो निवासी ग्राम कनई, जनपद पंचायत देवसर, जिला सिंगरौली म0प्र0

2– शारदा प्रसाद पिता मट्ठुकधारी वैसवार, उम्र 60 वर्ष, पेशा कृषि, निवासी ग्राम कनई, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली म0प्र0 मृतक वारिसान–

क– फुलेहरी पुत्री शारदा प्रसाद

ख– रामदीन तनय शारदा प्रसाद

ग– ददनराम तनय शारदा प्रसाद

घ– रामभवन तनय शारदा प्रसाद

ड– छोटकी पुत्री शारदा प्रसाद

सभी निवासी ग्राम कनई, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली म0प्र0

3– शिव प्रसाद पिता रामजियावन बैसवार मृतक वारिस–

क– राजाराम तनय शिव प्रसाद

ख– लल्ली देवी पुत्री शिवप्रसाद

ग– विटाले देवी पुत्री शिव प्रसाद

घ– बुटाले देवी पुत्री शिव प्रसाद

ड– दन्नी देवी पुत्री शिव प्रसाद

सभी निवासी ग्राम कनई, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली म0प्र0

4– काशी प्रसाद पिता कन्हैयालाल बैसवार

5– अंजनी प्रसाद पिता कन्हैयालाल बैसवार

6– रम्बानी पिता कन्हैयालाल बैसवार

7– तेजवामी पिता कन्हैयालाल बैसवार

8– हरवामी पिता कन्हैयालाल बैसवार

9– रामस्वरूप पिता रघुवर बैसवार मृतक वारिसान–

क– अचरज लाल तनय रामस्वरूप

ख– हरि प्रसाद तनय रामस्वरूप

ग– सुमित्री देवी पुत्री स्वरूप

घ– परेउआ पुत्री रामस्वरूप

ङ– जिमित्री पुत्री रामस्वरूप

च– जिराऊ पुत्री रामस्वरूप

छ– देवकुमारी पुत्री रामस्वरूप

10– रूपलाल पिता रघुवर बैसवार

11– रामगणेश पिता रघुवर बैसवार

12– परशुराम पिता मोहनलाल बैसवार

13– आत्माराम पिता मोहनलाल बैसवार

14– मु0 रूपाऊ बेबा पत्नी सत्यनारायण बैसवार

15– रामचन्द्र पिता सत्यनारायण बैसवार

16– गुलबिया पिता रामसखा बैसवार

17– मु0 दिलउआ पति श्रीलाल बैसवार

18– त्रिभुवनदास पिता सूर्यलाल बैसवार

19– भगवानदास पिता सूर्यलाल बैसवार

20– रामायण दास पिता सूर्यलाल बैसवार

21– केशवदास पिता सूर्यलाल बैसवार

22– प्राणनाथ पिता प्यारेलाल बैसवार

23– प्रेमलाल पिता प्यारेलाल बैसवार

24– लखपती पिता बिहारीलाल बैसवार

25– कैलाशपती पिता बिहारीलाल बैसवार

26– जगपती पति बिहारीलाल बैसवार

27– जय प्रसाद पिता रामजियावन बैसवार

सभी निवासी ग्राम कनई, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली म0प्र0

------- **गैरनिगरानीकर्तागण**

निगरानी विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी महोदय देवसर, जिला सिंगरौली द्वारा प्रकरण कमांक

173/अपील/13-14 में पारित
दिनांक 26-09-17
निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0
भू-राजस्व संहिता 1959ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है-

1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-09-17 विधि, प्रक्रिया एवं प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2- यह कि उपखण्ड अधिकारी महोदय ने दिनांक 11-07-17 को अपने न्यायालय में विचाराधीन अपील प्रकरण को अपीलाण्ट के उपस्थित न होने पर अदम् पैरवी में निरस्त कर दिया था किंतु अचानक दिनांक 26-09-17 को प्रावधानों एवं नियमों के विपरीत जाकर प्रकरण को पुर्नस्थापित करने का जो आदेश पारित किया है वह प्रथम दृष्ट्या ही विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

3- यह कि धारा 35(3) म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत् पुर्नस्थापना आवेदन पत्र के साथ शपथपत्र प्रस्तुत करना आज्ञापक है किंतु उपखण्ड अधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत पुर्नस्थापना आवेदन पत्र के साथ कोई शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था, किंतु उपखण्ड अधिकारी महोदय ने आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत जाकर अपील प्रकरण को प्रश्नाधीन आदेश से पुर्नस्थापित करने की भूल की है।

4- यह कि उपखण्ड अधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत पुर्नस्थापना आवेदन पत्र में किसी भी तरह से कोई विश्वसनीय, उचित एवं समाधानप्रद बिंदु प्रकरण को पुर्नस्थापित करने बावत् प्रस्तुत नहीं किये गये थे, जो भी तथ्य प्रकरण को पुर्नस्थापित करने बावत् उल्लिखित किये गये थे वे अप्रमाणित एवं अविश्वसनीय थे किंतु फिर भी उपखण्ड अधिकारी महोदय ने उक्त अपील प्रकरण को पुर्नस्थापित करने की महान् विधिक भूल की है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक **दो–निगरानी/सिंगरोली/भू.रा./2018/4353**

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-03-18	निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी देवसर जिला सिंगरोली के प्रकरण कमांक 173/13–14 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 26–8–17 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों के कम में अनुविभागीय अधिकारी देवसर के अंतरिम आदेश दिनांक 26–8–17 के अवलोकन से पाया गया कि अनावेदक क–1 ने तहसीलदार देवसर के प्र.क. 221 अ–27/11–12 में पारित आदेश दिनांक 18–7–12 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी देवसर के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी, जो अदम पैरवी में हुई। पुर्नस्थापन आवेदन आने पर अनुविभागीय अधिकारी देवसर ने अंतरिम आदेश दिनांक 26–8–17 से इस प्रकार निर्णय लिया है :– **" अपीलार्थी अधिवक्ता को सुना। आवेदन पत्र समय–सीमा में है। प्रकरण पुर्नस्थापित किया जाता है। वास्ते उत्तरवादी तलबी हेतु। "** अनुविभागीय अधिकारी का उक्तानुसार आदेश स्वतः स्पष्ट है। जब आवेदक को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है उसके व्दारा विचाराधीन निगरानी प्रस्तुत करने से प्रतीत होता है कि वह अनुविभागीय अधिकारी के अपील प्रकरण के निराकरण में विलम्ब करने के उद्वेश्य से निगरानी कर रहा है। विचाराधीन निगरानी बलहीन होने से इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है। सदस्य	